रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 12, 2018/पौष 22, 1939
No. 19] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 12, 2018/PAUSHA 22, 1939

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2018

आधार (नामांकन और अद्यतन) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2018

(2018 का संख्या 1)

सं. 13012/79/2017/विधि–यूआईडीएआई (13) (2018 का संख्या 1).– आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 54 की उप–धारा (2) के उप–खंड (बी), (ई), (जे), (एन), (एस), (वी) और (एक्स) और उप–धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एतद्द्वारा आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 (2016 का सं. 2) समय–समय पर यथासंशोधित, में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :–**

(1) इन विनियमों को आधार (नामांकन और अद्यतन) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का सं. 1) कहा जाएगा।

(2) ये विनियम इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. **आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016, समय–समय पर यथासंशोधित की अनुसूची II में संशोधन .–**

आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016, समय समय पर यथासंशोधित की अनुसूची II में, सूची बी की क्र.सं. 16 को "मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान द्वारा पत्रशीर्ष पर जारी किया गया फोटो युक्त हस्ताक्षरित पत्र या मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान द्वारा जारी पतायुक्त फोटो पहचान पत्र" के रूप में प्रतिस्थातपित किया जाएगा, सूची बी की क्र.सं. 23 को "सांसद या विधायक या एमएलसी या राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा पत्रशीर्ष पर जारी किया गया फोटो युक्त पते का प्रमाण पत्र" के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा, सूची सी में "सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया विधिवत हस्ताक्षरित फोटो और जन्मतिथि युक्त प्रमाण पत्र या पहचान पत्र", को क्र.सं. 10 के रूप में अन्तर्निविष्ट किया जाएगा और सूची सी में "मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान द्वारा जारी किया गया जन्म तिथि युक्त फोटो पहचान पत्र" को क्र.सं. 11 के रूप में अन्तर्निविष्ट किया जाएगा।

3. आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016, समय–समय पर यथासंशोधित की अनुसूची IV के फार्म का प्रतिस्थापन.–

आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016, समय–समय पर यथासंशोधित की अनुसूची IV के, "आधार नामांकन/त्रुटिशोधन फार्म" को "आधार पता अपडेट/सुधार फार्म" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
भारत सरकार

आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (आधार अधिनियम) की धारा 3 के अंतर्गत

AADHAAR

"आधार पता अपडेट/सुधार फार्म

यह फार्म अपडेट/सुधार अनुरोधों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और डाक द्वारा भेजा जाए। केवल बडे अक्षरों का इस्तेमाल करें। अपडेट/सुधार के लिए फील्ड पर ध्यान दिए बिना पूरा फॉर्म भरें। किसी भी फील्ड में अपडेट/सुधार के लिए मोबाइल नंबर देना आवश्यक है।

अपडेट/सुधार की फील्डः ☐ पता		
आधार नंबर (कृपया यहां आधार नंबर के सही 12 अंक लिखें) | | | | | | | | | | | | |		
फील्ड	इस कॉलम में अंग्रेजी के बडे अक्षरों में ब्योरा भरें	इस कॉलम में स्थानीय भाषा में ब्योरा भरें (आपके आधार पत्र में दी गई स्थानीय भाषा का ही इस्तेमाल करें)
निवासी का नाम		
पते का ब्योराः	चुनें ☑ संरक्षक ( ) पुत्री ( ) पुत्र ( ) पत्नी ( ) पति ( )	
अभिभावक/माता–पिता/पति या पत्नी का नाम		
मकान/बिल्डिंग/अपार्टमेंट		
गली/रोड/लेन		
पहचान चिह्न		
क्षेत्र/स्थान/सेक्टर		
गांव/कस्बा/शहर		
जिला		
डाकघर		
राज्य		
पिनकोड	| | | | | | |	
मोबाइल नंबर (अनिवार्य)	| | | | | | | | | | |	
दस्तावेज का ब्योरा (संलग्न दस्तावेज का नाम लिखें। वैध दस्तावेजों के लिए अनुलग्नक 1 देखें)		
क. पते का प्रमाण		

आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016, की धारा 3(2) के अंतर्गत प्रकटन

मैं एतद्द्वारा पुष्टि करता हूं कि मैंने पिछले 12 माह में कम से कम 182 दिन भारत में निवास किया है और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को मेरे द्वारा बायोमैट्रिक सहित दी गई सूचना और यहां दी गई सूचना मेरी अपनी है और सत्य, सही और यथातथ्य है। मुझे यह ज्ञान है कि बायोमैट्रिक सहित मेरी सूचना आधार तैयार करने और प्रमाणन के लिए इस्तेमाल होगी। मुख्य बायोमैट्रिक के सिवाए मेरी सूचना किसी एजेंसी को मेरी अनुमति लेकर प्रमाणन के दौरान उस एजेंसी को दी जा सकती है। मुख्य बायोमैट्रिक के सिवाए मुझे अपनी पहचान की सूचना तक पहुंचने का अधिकार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा बनाई गई प्रक्रिया का पालन करके होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

अनुलग्नक 1

नाम और पते सहित संगत दस्तावेजों की सूची	
1	पासपोर्ट
2	बैंक विवरणी/पासबुक
3	डाकघर खाता विवरणी/पासबुक
4	राशन कार्ड
5	वोटर आईडी
6	ड्राइविंग लाइसेंस
7	सरकारी फोटो आईडी कार्ड/पीएसयू द्वारा जारी सेवा संबंधी फोटो आईडी कार्ड
8	बिजली का बिल तीन माह से अधिक पुराना न हो
9	पानी का बिल तीन माह से अधिक पुराना न हो
10	टेलीफोन लैंडलाइन बिल तीन माह से अधिक पुराना न हो
11	संपत्ति कर रसीद तीन माह से अधिक पुरानी न हो
12	क्रेडिट कार्ड विवरणी तीन माह से अधिक पुरानी न हो
13	बीमा पॉलिसी
14	बैंक द्वारा लेटरहेड पर हस्ताक्षर हों जिस पर फोटो लगा हो
15	पंजीकृत कंपनी द्वारा लेटरहेड पर हस्ताक्षर हों जिस पर फोटो लगा हो
16	मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान द्वारा पत्रशीर्ष पर जारी किया गया फोटो युक्त हस्ताक्षरित पत्र या मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान द्वारा जारी पतायुक्त फोटो पहचान पत्र
17	मनरेगा जॉब कार्ड
18	हथियार का लाइसेंस
19	पेंशनर कार्ड
20	स्वतंत्रता सेनानी कार्ड
21	किसान पासबुक
22	सीजीएचएस/ईसीएचएस कार्ड
23	सांसद या विधायक या एमएलसी या राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा पत्रशीर्ष पर जारी किया गया फोटो युक्त पते का प्रमाण पत्र
24	ग्रामीण क्षेत्रों के मामलों में ग्राम पंचायत प्रमुख अथवा उसके समकक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी पते का प्रमाणपत्र
25	आयकर निर्धारण आदेश
26	वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र
27	पंजीकृत विक्रय/पटटा/भाडा करार
28	डाक विभाग द्वारा जारी पता कार्ड जिसमें फोटो लगा हो
29	राज्य सरकार द्वारा जारी जाति अथवा मूल निवास प्रमाणपत्र जिस पर फोटो लगा हो
30	संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों/प्रशासनों द्वारा जारी अपंगता आईडी कार्ड/दिव्यांग चिकित्सा प्रमाणपत्र
31	गैस कनेक्शन का बिल जो तीन माह से अधिक पुराना न हो
32	पति/पत्नी का पासपोर्ट
33	नाबालिग होने की दशा में माता–पिता का पासपोर्ट
34	केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया आवास का आबंटन पत्र, जो 3 साल से अधिक पुराना न हो
35	सरकार द्वारा जारी किया गया पता युक्त विवाह प्रमाण पत्र

डाक द्वारा अद्यतन अनुरोध भेजने के लिए पता

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण,
पोस्ट बॉक्स नंबर 99, बंजारा हिल्स, हैदराबाद–500034, भारत

4. आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016, समय–समय पर यथासंशोधित के विनियम 21 में संशोधन .–

आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016, समय–समय पर यथासंशोधित के विनियम 21 में "अनुबंध" शब्द के बाद, "या नियुक्ति/नियोजन की शर्तें" अन्तर्निविष्ट की जाएंगी।

डॉ. अजय भूषण पांडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./388/17]

THE UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2018

AADHAAR (ENROLMENT AND UPDATE) (FIFTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2018

(No. 1 of 2018)

No. 13012/79/2017/Legal-UIDAI (13) (No. 1 of 2018).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-clause (b), (e), (j), (n), (s), (v) and (x) of sub-section (2) of Section 54 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016, the Unique Identification Authority of India hereby makes the following regulations to further amend the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016 (No. 2 of 2016), as amended from time to time, namely:-

1. Short title and commencement.-

(1) These regulations may be called the Aadhaar (Enrolment and Update) (Fifth Amendment) Regulations, 2018 (No. 1 of 2018).

(2) These shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to Schedule II of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, as amended from time to time.-

In Schedule II of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, as amended from time to time, S.No. 16 of List B shall be substituted as "Signed Letter having Photo issued by Recognized Educational Institution on letterhead or Photo ID having address issued by Recognized Educational Institution", S.No. 23 of List B shall be substituted as "Certificate of Address having photo issued by MP or MLA or MLC or Gazetted Officer or Tehsildar on letterhead", in List C "A certificate or ID card having photo and Date of Birth (DoB) duly signed and issued by a Government authority" shall be inserted as S.No. 10 and in List C "Photo ID card having Date of Birth, issued by Recognized Educational Institution" shall be inserted as S.No. 11.

3. Amendment to Schedule IV of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, as amended from time to time.-

In Schedule IV of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, as amended from time to time, the form "Aadhaar Data Update/Correction Form" shall be substituted by the form "Aadhaar Address Update/Correction Form".

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
भारत सरकार

Under Section 3 of THE AADHAAR (TARGETED DELIVERY OF FINANCIAL AND OTHER SUBSIDIES, BENEFITS AND SERVICES) ACT, 2016 (Aadhaar Act)

AADHAAR

AADHAAR ADDRESS UPDATE/CORRECTION FORM

This form is used for sending Update/Correction Requests through Post. Use capital letters only. Fill the complete form irrespective of the field/s for update/correction. Providing mobile number is mandatory for Update/Change in any of the fields.

Field for Update/Correction: □Address

Aadhaar No. *(Please provide accurate 12-digit Aadhaar number here)*: | | | | | | | | | | | | |

Field	Fill Details in English in this column (Use Capital Letters)	Fill Details in Local Language in this column(Use same local language as in your Aadhaar letter)
Resident's Name		
Address C/O Details	Select (☑) C/o ( ) D/o ( ) S/o ( ) W/o ( ) H/o ( )	
Guardian/ Parent/Spouse Name	NAME	
House / Bldg./Apt.		
Street/Road/Lane		
Landmark		

Area/locality/sector	
Village/Town /City	
District	
Post Office	
State	
PIN CODE	| | | | | | |
Mobile No. (mandatory) | | | | | | | | | | |	
Document Details (Write Names of the documents attached. Refer Annexure I for Valid documents)	
a. POA	

Disclosure under section 3(2) of THE AADHAAR (TARGETED DELIVERY OF FINANCIAL AND OTHER SUBSIDIES, BENEFITS AND SERVICES) ACT, 2016

I confirm that I have been residing in India for at least 182 days in the preceding 12 months & information (including biometrics) provided by me to the UIDAI is my own and is true, correct and accurate. I am aware that my information including biometrics will be used for generation of Aadhaar and authentication. I understand that my identity information (except core biometric) may be provided to an agency only with my consent during authentication or as per the provisions of the Aadhaar Act. I have a right to access my identity information (except core biometrics) following the procedure laid down by UIDAI.

Applicant's signature/Thumbprint

Annexure I

Supported PoA Documents Containing Name and Address

1. Passport
2. Bank Statement/ Passbook
3. Post Office Account Statement/Passbook
4. Ration Card
5. Voter ID
6. Driving License
7. Government Photo ID cards/ service photo identity card issued by PSU
8. Electricity Bill (not older than 3 months)
9. Water bill (not older than 3 months)
10. Telephone Landline Bill (not older than 3 months)
11. Property Tax Receipt (not older than 3 months)
12. Credit Card Statement (not older than 3 months)
13. Insurance Policy
14. Signed Letter having Photo from Bank on letterhead
15. Signed Letter having Photo issued by registered Company on letterhead
16. Signed Letter having Photo issued by Recognized Educational Institution on letterhead or Photo ID having address issued by Recognized Educational Institution
17. NREGS Job Card
18. Arms License
19. Pensioner Card
20. Freedom Fighter Card
21. Kissan Passbook

22. CGHS / ECHS Card
23. Certificate of Address having photo issued by MP or MLA or MLC or Gazetted Officer or Tehsildar on letterhead
24. Certificate of Address issued by Village Panchayat head or its equivalent authority (for rural areas)
25. Income Tax Assessment Order
26. Vehicle Registration Certificate
27. Registered Sale/Lease/Rent Agreement
28. Address Card having Photo issued by Department of Posts
29. Caste and Domicile Certificate having Photo issued by State Government.
30. Disability ID Card/handicapped medical certificate issued by the respective State/UT Governments/Administrations
31. Gas Connection Bill (not older than 3 months)
32. Passport of Spouse
33. Passport of Parents (in case of Minor)
34. Allotment letter of accommodation issued by Central/State government of not more than 3 years old
35. Marriage Certificate issued by the Government containing address

Addresses for sending Update Request by Post:

UIDAI,
Post Box No. 99, Banjara Hills, Hyderabad-500034, India

4. Amendment to Regulation 21 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, as amended from time to time.-

In Regulation 21 in Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, as amended from time to time, after the word “agreements”, the words “or terms of appointment/engagement” shall be inserted.

Dr. AJAY BHUSHAN PANDEY, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./388/17]

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.01.12 22:18:00 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.